न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

प्रकीर्ण वाद संख्या–183/2026

CNRNo.UPGD010023962026

सोनू कुमार बनाम रामदेव आदि

थाना–नवाबगंज, जिला गोण्डा

दिनांक–13.07.2026

1– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पेश हुआ।

2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया है।

3– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० आवेदक सोनू कुमार द्वारा सारतः इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति (कोरी) का एक गरीब व्यक्ति है, प्रार्थी अपनी भूमि गाटा संख्या–1118 जो रोड के पास में स्थित है और उसी में प्रार्थी ने पहले से एक छप्पर रखा हुआ था और विपक्षीगण उसी के सामने दूसरी ओर बैनामा लेकर घर बनाए है, विपक्षीगण प्रार्थी के छप्पर रखने की वजह से काफी रंजिश रखते हैं जब प्रार्थी दिनांक–06.03.2026 की शाम करीब 06 बजे प्रार्थी अपने उसी छप्पर/मड़हे की मरम्मत कर रहा था उसी समय विपक्षीगण एकराय होकर लाठी–डंडा व बांका लेकर वहां आ गये और प्रार्थी व उसके परिवार के उपस्थित सदस्यों को माँ बहन की भद्दी–भद्दी तथा जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देते हुए मारने पीटने लगे, जिससे प्रार्थी समेत उसके भाई विकास व बहन अंजली को काफी चोटें आयी। हल्ला गोहार पर गांव की सविता पत्नी बृजलाल, सूर्य प्रकाश पुत्र गुरूचरन व अन्य तमाम लोग आ गये, जिनके बीच बचाव से प्रार्थी व उसके परिवार के लोगों की जान बची। प्रार्थी द्वारा इस घटना की सूचना थाना नवाबगंज में उसी रोज दी गयी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने अपना व अन्य चोटहिलों का दिनांक–07.03.2026 को जिला अस्पताल गोण्डा में डाक्टरी मुआइना कराया। विपक्षीगण बहुत ही सरकश व दबंग किस्म के प्रभावशाली व्यक्ति है, जिससे प्रार्थी और उसका परिवार काफी भयभीत है। प्रार्थी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक, गोण्डा व अन्य उच्च अधिकारियों से मिलकर सूचना दिया, किन्तु कोई कार्यवाही न होने के कारण दिनांक–24.03.2026 को जरिये रजिस्ट्री सूचना दी, फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी विवश होकर श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रहा है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाकर थाना कोतवाली नगर गोण्डा से विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

4– उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा आपत्ति **दिनांकित–13.07.2026** मय शपथ पत्र इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थना पत्र धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. के विपक्षीगण 1 ता 7 जो एक ही परिवार के सदस्य है। आपत्तिकर्तागण व आवेदक सोनू कुमार के बीच कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। आपत्तिकर्तागण जो कि यादव बिरादरी के है एवं आवेदक सोनू कुमार जाति का

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.15 10:50:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हरिजन है, जिससे आपत्तिकर्तागण पर दबाव बनाकर अपना हनक गांव में बरकरार रखने के लिए झूंठा राय मशविरा पर दिनांक–06.03.2026 की फर्जी घटना बनाकर आपत्तिकर्तागण के परिजनों को फंसाये जाने के आशय से डाक्टर से मिलकर अनुचित लाभ देकर फर्जी मेडिकल तैयार कराकर फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का आदेश संबंधित न्यायालय से प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिनमें तनिक भी सत्यता नहीं है। आपत्तिकर्तागण ने कोई गाली गलौज, मारपीट नहीं किया है। आवेदक सोनू कुमार कैसे चोटहिल हुए इसकी भी जानकारी आपत्तिकर्तागण को भी नहीं है। केवल गांव के होने के कारण फंसाये जा रहे है। आपत्तिकर्तागण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र में लगाये गये आरोप निराधार मनगढन्त व फर्जी है। यदि घटना की सत्यता होती तो प्रारम्भिक जाँच जो कि प्रथम जाँचकर्ता अधिकारी चौकी अथवा थाने के इंचार्ज होते है उनके द्वारा थाने में अवश्य ही रिपोर्ट दर्ज करायी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे कथित घटना में कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है। अतः आपत्ति पत्र के आधार पर उपरोक्त प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– आवेदक के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन०एस०एस० पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7– प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/आवेदक को विपक्षीगण के नाम व पते, प्रार्थना–पत्र में वर्णित घटना, घटनास्थल, घटना के समस्त तथ्य संज्ञान में है, जिनको वह अपने साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में साबित करने में सक्षम है तथा प्रार्थना–पत्र के कथन शपथ पत्र से समर्थित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ के निर्णय ***सुखवासी प्रति उ०प्र० राज्य 2007(59) ए०सी०सी० 739*** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि, मजिस्ट्रेट धारा–156(3) दं.प्र.सं. में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किये जाने तथा विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थनापत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के निर्णय में दिये गये विधि सिद्धान्तों के आलोक में आवेदक उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप मे दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक **सोनू कुमार** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० दिनांक–19.08.2026 को पेश हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–13.07.2026

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट,
गोण्डा।